

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह (टोंक)

मिसाल नम्बर - 114/2024

तारीख - रजु 07.05.2024

उनयान

- कवल देवी पत्नी रमेशचन्द जाति ब्राह्मण निवासी टोरडी तहसील मालपुरा।
- विनोद देवी पत्नी सीताराम जाति ब्राह्मण निवासी टोरडी तहसील मालपुरा।

- प्रार्थीगण

बनाम

- तहसीलदार/लैण्ड होल्डर, तहसील-टोडारायसिंह।

- अप्रार्थी

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

आदेश

दिनांक : 31.05.2024

प्रार्थी का मुख्य रूप से कथन है कि उनके कब्जे काशत व खातेदारी की आराजी खसरा नं. 1841 रकबा 3.74 है0 वाके ग्राम मेहरु तह. टोडारायसिंह में स्थित है। प्रार्थी की उक्त आराजी के पूर्व में मेड पडी हुई थी, जो वर्तमान में खुर्द-बुर्द हो चुकी है तथा आराजी के सीमा चिन्ह नष्ट हो चुके हैं। इस कारण वादग्रस्त आराजी के पडौसी खातेदारान सीमा चिन्ह नष्ट हो जाने के कारण प्रार्थी की उक्त आराजी में घुसकर कब्जा करना चाहते हैं, जिससे आए दिन लड़ाई-झगडे होते रहते हैं। गौके पर कभी भी गंभीर वारदात कर सकते हैं। इस कारण प्रार्थी उक्त वादग्रस्त आराजी के पथरगढी गुटाम कायम कर पथरगढी करवाने का अधिकारी है।

प्रार्थी ने उक्त आराजी की पथरगढी करने हेतु तहसीलदार, टोडारायसिंह को निवेदन किया तो उन्होंने पथरगढी करने से इंकार कर दिया। जिस पर यह प्रार्थना-पत्र कायम किये जाने, सीमाचिन्ह पथरगढी हेतु न्यायालय हाजा में पेश करना आवश्यक हुआ।


विवाद मूल व प्रार्थना-पत्र की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का माननीय न्यायालय हाजा को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जेकाशत आराजी खसरा नं. 1841 रकबा 3.74 है0 वाके ग्राम मेहरु तह. टोडारायसिंह को आवश्यक आदेश व निर्देश प्रदान करे तथा पालना रिपोर्ट न्यायालय में मंगवाये जाये।

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी प्रस्तुत होने पर प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलवी अप्रार्थी जरिए नोटिस की गई जिस पर अप्रार्थी नम्बर 01 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि का सीमाज्ञान हो रखा है। आराजी खसरा नं. 1841 रकबा 3.74 है0 पर प्रार्थीगण का कब्जा काशत है। किसी न्यायालय का रथगन नहीं है। ना ही कोई वाद दिवाराधीन है।

अभिभाषक व पैरोकार सरकार को सुना गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया, बहस पर मनन किया, वादग्रस्त आराजी मुताबिक नकल, जमाबंदी संवत् 2073-76 वाके ग्राम मेहरु तह. टोडारायसिंह की खतौनी संख्या 730 के अनुसार प्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक जवाब वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 1841 रकबा 3.74 है0 पर प्रार्थीगण का कब्जा काशत है। खातेदारान के कब्जेकाशत की आराजी की पथरगढी करवाने के प्रार्थीगण हकदार है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, टोडारायसिंह को निर्देश है कि आराजी खसरा नं. 1841 रकबा 3.74 है0 वाके ग्राम मेहरु तह. टोडारायसिंह में प्रार्थी से नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रार्थी व आराजी के पडौसी खातेदारान की मौजूदगी उक्त आराजी में फसल मौजूद नहीं होने की स्थिति में सीमा ज्ञान करवाकर पथरगढी करवाये। पालनार्थ तहसीलदार, टोडारायसिंह को तहरीर जारी हो एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(शिवराज मीणा)

उपखण्ड अधिकारी

टोडारायसिंह

